पत्र संख्या-स0द0 सामान्य निर्देश - /2015-16 / 1717 / 1516068 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: फरवरी 22, 2016

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) /

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक),

असिस्टेन्ट कमिश्नर (स0द0) / वाणिज्य कर अधिकारी (स0द0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय : - माल की जॉच एवं अभिग्रहण के संबंध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 / नियमावली के प्राविधानों के अनुरुप कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

रिट याचिका संख्या-478 / 2014 संदीप बल्क कैरियर , रतनगंज , भरतपुर गेट , मथुरा बनाम उ0 प्र0 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01-12-2014 के क्रम में इस कार्यालय के कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1415108 दिनांक 05-01-2015 से निर्देश प्रसारित किये जा चुके है। इस संबंध में शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में पुनः निम्नवत निर्देश प्रसारित किया जाता है :-

समस्त सचलदल इकाई में कार्यरत असिस्टेन्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वाहनों की जॉच करने के उपरान्त जिन मामलों में वाणिज्य करअधिनियम के अन्तर्गत माल को जॉच हेतु रोका जाना अथवा उनका अभिग्रहण किया जाना आवश्यक हो , वहॉ माल को रोकने अथवा उनके अभिग्रहण की कार्यवाही निश्चित समयसीमा के अन्तर्गत करते हुये वाहन को तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों में अपराधिक कृत्य होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हो , वहॉ वाहन एवं माल के संबंध में निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा लिया जाता है। अतः इस प्रकार के मामलों में ये निर्देश लागू नहीं होंगे। पर ऐसे प्रकरणों में भी यदि न्यायालय द्वारा माल व वाहन को अवमुक्त करने के निर्देश संबंधित अपराधिक कृत्य पर विचार करते हुये दिये जाते हैं और वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत जमानत / अर्थदण्ड हेतु माल को रोका जाना / अभिग्रहण किया जाना आवश्यक हो , वहॉ सिर्फ माल को ही रोका जाये / अभिग्रहीत किया जाए। वाहन को न रोका जाए।

उपर्युक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि भविष्य में निर्देशों का उल्लंघन करने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के साथ - साथ अधिनियम / नियमावली के प्राविधानों के विपरीत कार्यवाही करने के फलस्वरुप कास्ट / प्रतिकर भुगतान की स्थिति में / राजस्व के बिन्दु पर भी उसे उत्तरदायी मानते हुये इसकी भरपायी उससे की जाएगी। संबंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0श0) को भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यो का समुचित अनुश्रवण न करने का उत्तरदायी मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।

19/02/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश , लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
2. सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(वी0 के0 शुक्ला) 22.02.2016

ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर ,

मुख्यालय , लखनऊ।